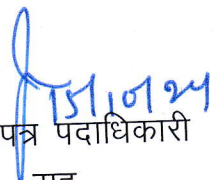


न्यायालय, नीलामपत्र पदाधिकारी -सह- अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश फलक

नीलाम पत्र वाद संख्या - 26 / 2022-23

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षरी	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी सहित
15/10/24	अधियाची पदाधिकारी, शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया भागीडेरा शाखा के लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम पत्र वाद दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई हैं जिसमें श्रीमती बसंती देवी, दुर्गा महिला मण्डल, सिरिबिरा, ग्राम - सिरिबिरा, थाना - बसिया, जिला - गुमला के विरुद्ध देनदार दिखाते हुए मों0 34,290.00 रुपये बकाया प्रतिवेदित किया गया है। अभिलेख उपस्थापित। देनदार को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्गत नोटिस के आलोक में देनदार जिसमें श्रीमती बसंती देवी, दुर्गा महिला मण्डल, सिरिबिरा, ग्राम - सिरिबिरा, थाना - बसिया, जिला - गुमला के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया भागीडेरा से प्राप्त ऋण को जमा कर दिया गया है। शाखा बैंक ऑफ इंडिया भागीडेरा के द्वारा उक्त देनदार के ऋण खाता को बंद करने संबंधी पत्र प्राप्त है। अतः बैंक ऑफ इंडिया भागीडेरा से निर्गत पत्र के आलोक में उक्त नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई देनदार के विरुद्ध समाप्त की जाती है। लेखापित।  नीलामपत्र पदाधिकारी -सह- अनुमण्डल पदाधिकारी बसिया (गुमला)।	